



Neutral Citation No. -2026: AHC:124279

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 18885/2026

संजयआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- श्री सर्वेश, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री प्रमोद कुमार, विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई, तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या 15/2026, अंतर्गत धारा 103(1), 191(2), 191(3), 3(5) बीएनएस, थाना- मालवां, जनपद- फतेहपुर में विचारण की अवधि के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा उसके विरुद्ध कोई अभियोगात्मक सामग्री उपलब्ध नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई थी तथा विवेचना के दौरान एक पारुल नामक गवाह के बयान में आवेदक का नाम प्रकाश में आया। यह भी कहा गया कि इसके अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि गवाह पारुल ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में कहा है कि उसका मृतक सौरभ यादव के साथ प्रेम प्रसंग था तथा जिसका उसके पिता एवं बहनोई द्वारा विरोध किया जाता था, अतः, उसके पिता, बहनोई तथा आवेदक ने उसकी हत्या कर दी। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक को केवल इस कारण अभियुक्त बनाया गया है क्योंकि वह गवाह पारुल के बहनोई का मित्र है। यह भी कहा गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान प्रकरण में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः, अब आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक दिनांक 21.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि, उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।
- इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, तथापि, यह निवेदन किया जाता है कि गवाह पारुल के बयान में आवेदक का नाम प्रकाश में आया है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई थी तथा एफ.आई.आर. के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। विवेचना के दौरान, गवाह पारुल के बयान के आधार पर आवेदक का नाम सामने आया, जिसमें उसने कहा कि उसके पिता एवं बहनोई मृतक सौरभ यादव के साथ उसके प्रेम प्रसंग का विरोध करते थे तथा उन्होंने आवेदक के साथ मिलकर मृतक सौरभ यादव की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक सौरभ के शरीर पर कुल 19 चोटें पाई गईं, तथापि, चिकित्सक द्वारा मृत्यु का कारण गर्दन पर दबावजनित चोटों की संयुक्त जटिलताओं को बताया गया है तथा विसरा सुरक्षित रखा गया है। आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है तथा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
6. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए तथा कारागारों में अत्यधिक भीड़ एवं विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिकवादों की भारी लंबित संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन आल 6765** में प्रतिवेदित, में प्रतिपादित जमानत संबंधी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
8. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **संजय** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—
- (i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।
 - (ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/विवेचना में निष्ठा से सहयोग करेगा।
 - (iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
 - (iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।
9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन, यह जमानत निरस्तीकरण का एक आधार होगा।
10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, हैसियत तथा निवास संबंधी प्रमाणों का सत्यापन किया जाएगा। आवेदक एवं जमानतदारों के मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा कराया जाएगा।



11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किए जाने की नीतिगत रणनीति, *इन री: स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) सं. 4/2021*, में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 31.01.2023 को निर्णीत, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, के अनुपालन में इस आदेश की प्रति 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को प्रेषित की जाए।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

01 जून, 2026

अभिषेक